



# सांध्य दैनिक

# 4PM



अपना भाग्य स्वयं नियंत्रित  
करिए नहीं तो कोई और  
करने लगेगा।

-जैक वेल्व

मूल्य  
₹ 3/-

[www.4pm.co.in](http://www.4pm.co.in) [www.facebook.com/4pmnewsnetwork](https://www.facebook.com/4pmnewsnetwork) [@Editor\\_SanjayS](https://www.youtube.com/@4pmNEWSNETWORK) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/@4pmNEWSNETWORK)

• तर्फः 10 • अंकः 267 • पृष्ठः 8 • लेखनां, मंगलवार, 5 नवम्बर, 2024

आईसीसीस ने महिला एफटीपी... 7 मंदिर पर हमला, जनता आमने... 3 यूपी पर लगाम लेने की कोशिश... 2

जिद... सच की

## सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को दी मंजूरी

# यूपी सरकार के दूटे सपने

» शीर्ष कोर्ट ने सीएम योगी की दिया करारा झटका

□ □ □ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सपने पर करारा गार किया है। दरअसल, यूपी मदरसा एकट वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने मगलवार (5 नवंबर) को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एकट को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एकट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेखनऊ बैच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एकट को साधान के मौलिक ढाँचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट का  
फैसला पलटा

‘हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार’

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं। कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती हैं, ये 9 जग्जों के संविधान पीठ का फैसला है, जिसने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलट दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट में चौप जरिस

डीवाई चंद्रचूड़ की

अगुवाई वाली 9 जग्जों की बैंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित



रख लिया था। मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, तीन जग्जेंट हैं, मेरा और 6 जग्जों का, जरिस नागरन का आशिक सहमति वाला और जरिस धुलिया का असहमति वाला हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31सी को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था, वह बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों की अधिग्रहण नहीं कर सकती।

ये था मामला

उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एकट बनाया गया था इसमें कहा गया कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे यूपी में साढ़े 24 हजार मदरसे हैं, जिसमें आठ हजार रजिस्टर्ड हैं। बचे साढ़े 16 हजार मदरसे रजिस्टर्ड हैं और सरकारी नियम से चलते हैं 560 मदरसे ऐसे हैं जो राज्य सरकार के फंड से चलते हैं।

बोर्ड सरकार की सहमति बना सकता है व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड सरकार की सहमति से ऐसी व्यवस्था बना सकता है, जहां मदरसा के धार्मिक वरित्र को प्रभावित किए बिना सेवयुलर शिक्षा दे सके। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एकट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1978 के बाद के फैसलों पर पड़ेगा प्रभाव

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1978 के बाद के उन फैसलों को पलट दिया है, जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है।

सीजेआई ने सात न्यायाधीशों का बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियों भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसलिए सरकारों द्वारा इन पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता।

## हाईकार्ट के फैसले से 17 लाख छात्र होते प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे 17 लाख छात्र प्रभावित होते, हमारा मानना है कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं था। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा था कि राज्य सरकार ने अधिनियम का बचाव किया है, लेकिन उसने हाईकोर्ट के उस फैसले को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कानून को निरस्त करने में भी सक्षम है। अगर मामले पर विचार करने की जरूरत है, तो मैं इसमें बधा नहीं हूँ।



गया था। नटराज ने कहा, जब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है, तो अब राज्य पर कानून के खर्च का बोझ नहीं डाला जा सकता। राज्य कानून को निरस्त करने में भी सक्षम है। अगर मामले पर विचार करने की जरूरत है, तो मैं इसमें बधा नहीं हूँ।

डालूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी मदरसा बंद नहीं किया जा रहा है। नटराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को सहायता देने के लिए हर साल 1,096 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाती है। उच्च न्यायालय ने 22

मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था और राज्य सरकार से छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय ने अधिकारा अंशुमान सिंह राठोर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कानून को अधिकारीन घोषित किया था।

मदरसों का है ये तर्क

1908 से मदरसे चल रहे हैं। यूपी में साढ़े 16 हजार मदरसे हैं। इनमें 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों में 10 हजार शिक्षक हैं मदरसे खल्म होंगे तो दीनी तात्त्विक क्षेत्रों द्वारा मैट्रिक्युलेशन के लिए छात्र चल रहे हैं। उनके सिलेबस को मदरसों में लागू किया जा रहा है।

मदरसों को डिग्री देने का अधिकार नहीं

यूपी मदरसा एकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एकट में मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है, यह यूजीसी एकट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एकट संवैधानिक है, सीजेआई चंद्रचूड़, जरिस जेबी पारदीवाला और जरिस मनोज मिश्र की बेंच ने ये फैसला दिया।





# और बढ़ रही है कनाडा-भारत में खाई!

# मंदिर पर हमला, जनता आमने-सामने

- » दोनों देशों के राजनीतिक संबंध पहले ही हो चुके हैं खराब
  - » जानकारों का कहना है कि अगले वर्ष कनाडा में चुनाव है और तबतक ऐसा महौल बना रहेगा
  - » अभी तक तो योपी के सड़कों पर लाठी डंडों से पिटाई के नजारे दिखायी देते थे लेकिन यह ट्रेंड कनाडा तक पहुंच गया।
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत-कनाडा की राजनीतिक लड़ाई अब सड़कों पर उत्तर आयी है, और मदिरों पर भी हमले शुरू हो गये हैं। डेंडे लेकर किसी को मार देने का चलन अभी तक भारत की सड़कों पर दिखायी देता था लेकिन यह ट्रेंड तक पहुंच गया और हमसभी को एक बुरी खबर से सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत-कनाडा के रिश्ते अबतक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमले से हाहाकार मच गया है। भारत के लाखों लोग कनाडा में बसे हैं। ऐसे में कनाडा के बदलते महौल से वह चिंतित है और अपनों के ? लिए दुआएं कर रहे हैं। टोरोंटो से हाल ही में त्योहार मनाने लखनऊ पहुंचे अमित भी इस खबर को सुनकर स्तब्ध हैं। भारतीय उच्चायोग ने इस पूरे प्रकरण पर ?चिंता जाहिर की है। गैरोत्तम है कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है।



## पीएम ट्रूडो ने की निंदा



इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है।

## बढ़ रहा है भारत का रूतबा

मौजूदा दौर भारत का है और भारत इस समय विश्व मानचित्र पर मजबूत स्थिति में है। मनोज दीक्षित कहते हैं कि भारत किसी भी युद्ध में शामिल नहीं है और किसी भी युद्ध में अलग नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने चिंता का विषय बन गयी है। वह कहते हैं कि डिप्लोमेटिक संबंध चीन के साथ समाप्त नहीं हुए तो कनाडा के साथ कैसे हो जाएंगे? हाँ वीजा में कमिया आ गयी है। इमरेशन शाका कोटा कनाडा ने कम कर दिया है। यह सब चीजें नुकसान करती हैं। अगले साल कनाडा में चुनाव है और तबतक ऐसे ही चलता रहेगा।

## फाइव आई को खल गया

हम आप को बताते हैं कि इन मुददों के बरअक्स भी ऐसे कुछ मुदद हैं जिनके कारण राजनीतिक आग भड़क गयी है। हुआ यह कि पिछले कुछ दिनों

पहले भारत ब्रिक्स में शामिल हुआ। रूस, चीन के साथ रिश्तों में ताजीगी अयी। भारत की यह धमाकेदार एंट्री फाइव आई को खल गयी। फाइव आई

न्यूजीलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का संगठन है जो आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करता है।

## निजर की हत्या ने खराब किये हालात

विदेशी मामलों के जानकार मनोज दीक्षित कहते हैं कि यह सिर्फ शुद्ध पालिटिक्स है। पीएम ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी राजनीतिक दल के सोपांट के

सहारे चल रही है। ऐसे में सरकार गठन से पहले ही कामन मिनिमन प्रोग्राम में चीजें तय थीं और सबकुछ सही चल रहा था। लेकिन निजर की हत्या

ने हालात खराब कर दिये। अब यदि पीएम ट्रूडो खालिस्तानियों को सोपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार गिरती है और अगर सोपोर्ट करते हैं तो भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं।

## उच्चायोग का अफसर तलब



राणीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचना दी गई थी कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उनके कम्युनिकेशन में सिख खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया

औपचारिक रूप से इसका भी विरोध किया है। हम ऐसे काम को राजनीतिक और वाणिज्य क्षेत्रों का उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी बातों का हवाला देकर, कनाडा सरकार इस चीज़ को सही नहीं ठहरा सकती है। हमारे राजनीतिक पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं।

दिवाली सेलिब्रेशन कैसिल करने पर भी बोले जायसवाल कनाडा में दिवाली सेलिब्रेशन कैसिल होने पर प्रवक्ता ने कहा- हमने इससे जुड़ी कुछ खबरें सुनी हैं। यह बहुत दुखद है कि वहाँ पर माहौल इस स्तर पर पहुंच गया है। कनाडा की संसद पालियार्मेंट हिल में दिवाली उत्सव रद्द करने की खबरें सामने आई थीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत के साथ चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच दिवाली समारोह को रद्द कर दिया गया।

## हिंसा हमारे संकल्पों को कमजोर नहीं कर सकती : जयशंकर



विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि सोमवार को खालिस्तानी झांडे लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा टोरंटो के पास कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में की गई हिंसा बेहद चिंताजनक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने यह बयान दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में भी विदेश मंत्री ने कनाडा की घटना पर नाराजी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा में चारमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है। कनाडा की तरफ से भारतीय राजनीतिकों की निगरानी रखी जा रही है जो अस्वीकार्य है।









